कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन,भोपाल–462004

क्रमांक 435 /आउशि/अका.प्र./08 भोपाल,दिनांक–12.11.08

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,
म0प्र0।

विषयः–सेमेस्टर पद्धति के अन्तर्गत अकादमिक कैलेण्डर में परिवर्तन।

---0---

इस वर्ष के अकादमिक कैलेण्डर में दिनांक 21.10.08 से छात्रों को परीक्षा से पूर्व अध्ययन के लिये अवकाश प्रदाय किया जाना था, किन्तु स्थिति की समीक्षा करने पर यह ज्ञात हुआ है कि कई महाविद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति 50 प्रतिशत से कम है। अतः यह निर्देश जारी किया जाना उचित होगा कि दिनांक 21.10.08 से प्रारंभ होने वाला अध्ययन अवकाश स्थगित कर अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर, जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति कम है अथवा जो अपने आप को किसी विषय विशेष में आत्मविश्वास में कमी पाते हैं, के लिये अतिरिक्त कक्षाएं लगाना सुनिश्चित करा जाये।

इसके अतिरिक्त यह भी उचित है कि फाउंडेशन कोर्स, सी.सी.ई. प्रथम तथा सी.सी.ई. द्वितीय के रिजल्ट विश्वविद्यालय को दिनांक 24.10.08 तक अनिवार्यतः भेजे जाए। जिन विद्यार्थियों के सी.सी.ई. एवं फाउंडेशन कोर्स के रिजल्ट 24.10.08 तक प्राप्त नहीं होते हैं उनके लिये विश्वविद्यालय के द्वारा प्रोविजनल प्रवेश पत्र ही जारी किये जायें ताकि वे नवम्बर माह में संचालित कक्षाओं से अपनी उपस्थिति पूर्ण कर लें, संबंधित विद्यार्थी नवम्बर माह में भी अतिरिक्त कक्षाओं के दौरान अनुपस्थिति रहते हैं तो फिर उनके नाम सूची से हटाकर उन्हें परीक्षा का प्रवेश पत्र किसी भी स्थिति में न दिया जाए।

कतिपय विद्यार्थियों के द्वारा 50 से 55 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण की गई है उन्हें भी इन अतिरिक्त कक्षाओं में बिठाकर उनकी उपस्थिति पूर्ण की जाए तथा यदि कोई मेधावी छात्र अतिरिक्त कक्षाएं लेने के लिये सहमत है और अतिरिक्त कक्षाएं लेने के लिये योग्य पाये जाते हैं तो स्नातकोत्तर कक्षाओं के ऐसे मेधावी छात्रों को स्नातक स्तर की प्रथम वर्ष की कक्षाएं लेने के लिये प्रेरित किया जा सकता है, ताकि नवंबर माह में अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर संबंधित विद्यार्थियों के उपस्थिति एवं पाठ्यक्रम पूर्ण होने में कोई दिक्कत न हो।

यह भी देखा गया कि कतिपय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के अंक आंतरिक मूल्यांकन के दौरान अत्यन्त कम पाये गये हैं तथा कई विद्यार्थी तो अनुत्तीर्ण हो गये

हैं। इन विद्यार्थियों के गार्जियन एवं संरक्षक होने के नाते हमारा सब का दायित्व है कि उन्हें अतिरिक्त कक्षाओं में बिठाकर नवंबर माह के मध्य में (चुनाव के निर्धारित कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए) अतिरिक्त सी.सी.ई. की परीक्षा आयोजित कर अंक सुधारने एवं उत्तीर्ण होने का अवसर दिया जाए।

इस संबंध में यह भी ध्यान रखा जाए कि संबंधित सी.सी.ई. की परीक्षा विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों/अतिथि विद्वानों के द्वारा ही ली जाए। अतिरिक्त कक्षाओं के सुपरवीजन के लिये विश्वविद्यालय एवं समीप के महाविद्यालय से वरिष्ठ शिक्षकों की व्यवस्था लीड कालेज के प्राचार्य के द्वारा की जायेगी।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

क्रमांक 436 /आउशि/अका.प्र./08
भोपाल,दिनांक–12.11.08

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, म0प्र0 शासन,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय,म0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उचच शिक्षा,म0प्र0।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश